मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र – इन्दौर

क्रमांक 5722/ 06 /2015/चयन

इन्दौर दिनांक 07 JUL 2017

//विज्ञप्ति//

अधीक्षक आयुर्वेद चिकित्सालय पद हेतु साक्षात्कार हेतु उम्मीद्वारी निरस्त होने के उपरांत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अभ्यावेदन निरस्त किए जाकर नस्तीबद्ध किये जाने की सूचना ।

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 02/चयन/2015/दिनांक 31.03.2015 के अन्तर्गत आयुष विभाग के तहत अधीक्षक आयुर्वेद चिकित्सालय के कुल–02 पद (अनारक्षित–01, अनुसूचित जनजाति–01) विज्ञापित किए गए हैं ।

2/ अधीक्षक आयुर्वेद चिकित्सालय पद हेतु साक्षात्कार की उम्मीद्वारी निरस्त होने वाले आवेदकों की सूची आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक 5029/06/2015/चयन, दिनांक 22 जून 2017 को आयोग की बेबसाइट पर जारी की जाकर आवेदकों को निर्देशित किया गया था कि उम्मीद्वारी निरस्त किये जाने के संबंध में अगर कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाना हो तो विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 10 दिवस की अवधि में आपत्ति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें ।

3/ उक्त विज्ञापित के संदर्भ मे आयोग को निम्नलिखित आवेदकों द्वारा आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं, जो आयोग को प्राप्त हुए हैं :–

स.क.	आवेदक का नाम	स.क.	आवेदक का नाम
01.	डॉ. विकास जैन	02.	डॉ. मौसमी कुल्हारे
03.	डॉ. निधि सिंघई	04.	डॉ. नरेन्द्र सिंह लोधी
05.	डॉ. प्रीति कुकरेले	06.	डॉ. गोपीचन्द सोलंकी
07.	डॉ. विजय कुमार यावतकर	08.	डॉ. कमलेश कुमार गौंड एवं डॉ. उपेन्द्र धुर्वे
09.	डॉ. शैलेन्द्र ब्यौहार डॉ. मनोज कोठी डॉ. अभिलाषा आम्रवंशी डॉ. ब्रजेश कुमार	10.	एडवोकेट श्री आकाश शर्मा (पक्षकार डॉ. विकास जैन के संबंध में)

4/ आयोग द्वारा जारी उक्त विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पद अधीक्षक आयुर्वेद चिकित्सालय पद हेतु साक्षात्कार हेतु आमंत्रित आवेदकों की मेरिट सूची स्नातक आधार पर तैयार की गई है, क्योंकि विज्ञापन में चयन प्रक्रिया में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि "चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता की परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के अनुसार आवेदक साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जावेगें ।" उपरोक्त पद हेतु अनिवार्य अर्हता स्नातक उपाधि हैं, साक्षात्कार में आमंत्रित किए गए समस्त आवेदकों के पास 05 वर्ष का आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद का अनुभव पूर्ण हैं । वरीयता के संबंध में लेख है कि साक्षात्कार में सम्मिलित किए गए आवेदकों को साक्षात्कार में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अगर कोई आवेदक एम.डी. उपाधि धारक है तो चयन में वरीयता प्रदान की जावेगी ।

5/ मध्यप्रदेश के राजपत्र दिनांकं 27 मई 1998 में शैक्षणिक अर्हता में शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय या औषधालय में 05 वर्ष के अनुभव की शर्त विज्ञापित की गई थी, मध्यप्रदेश के राजपत्र दिनांक 19 अगस्त 2013 में उपरोक्त पद की शैक्षणिक अर्हता में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पद पर 05 वर्ष के अनुभव की शर्त विज्ञापित हैं । विभाग से प्राप्त मांगपत्र एवं भरती नियम में भी यही शर्त विज्ञापित होने से आयोग द्वारा विज्ञापन में उक्त शर्त प्रकाशित की गई, जिसके आधार पर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पद का अनुभव शासकीय/संविदा/प्रायवेट संस्थान में आयोग द्वारा मान्य किया गया हैं ।

6/ उपरोक्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अभ्यावेदन का परीक्षण आयोग स्तर पर एवं संबंधित विषय के विशेषज्ञों से करवाया गया, जिसमें आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अभ्यावेदन मान्य किये जाने योग्य नहीं होने से निरस्त की जाकर नस्तीबद्व किए जाते हैं ।

उप परीक्षा नियंत्रक